

## 26वीं पूरवी क्षेत्रीय परषिद् की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री

### चर्चा में क्यों?

10 दसिंबर, 2023 को केंद्रीय गृहमंत्री अमति शाह की अध्यक्षता में बहिर के पटना में मुख्यमंत्री सचवालय स्थति 'संवाद' में 26वीं पूरवी क्षेत्रीय परषिद् की बैठक हुई, जसिमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए और बैठक की मेज़बानी भी की।

### प्रमुख बदि

- केंद्र सरकार के नरिदेश पर पटना में पूरवी क्षेत्रीय परषिद् की यह 5वीं बार बैठक हुई। इसके पूरव 1958, 1963, 1985 और 2015 में बैठक हो चुकी है।
- इस बैठक में बहिर, झारखंड, ओडिशा और पश्चमि बंगाल के मंत्री और वरीय अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
- वदिति हो का मुख्यमंत्री ने 28 फरवरी, 2020 में उड़ीसा में आयोजति पूरवी क्षेत्रीय परषिद् की बैठक में भाग लया था।
- मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा किराज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारति गणना करा ली है और इसके आँकड़ों को जारी कया है, जसिके अनुसार बहिर की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हज़ार 310 है, जसिमें 53 लाख 72 हज़ार 22 लोग बहिर के बाहर रह रहे हैं। 12 करोड़ 53 लाख 53 हज़ार राज्य में रह रहे हैं।
- जाति आधारति गणना में पछिड़ा वर्ग 27.12 प्रतिशत, अत्यंत पछिड़ा 36.01 प्रतिशत, अनुसूचति जाति 19.65 प्रतिशत, अनुसूचति जनजाति 1.68 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग 15.52 प्रतिशत की आबादी पाई गई है।
- मुख्यमंत्री ने बताया किराज्य में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दया गया है। इसके लयि कानून पारति हो गया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लयि पूरव से ही 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है। सभी को मलाकर कुल आरक्षण 75 प्रतिशत हो गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा किरा सभी जातियों में गरीब परिवार मलि हैं, जनिमें 25.09 प्रतिशत सामान्य वर्ग के, 33.16 प्रतिशत पछिड़ा वर्ग के, 33.58 प्रतिशत अतिपछिड़ा वर्ग के, 42.93 प्रतिशत अनुसूचति जाति तथा 42.70 प्रतिशत अनुसूचति जनजाति वर्ग के लोग गरीब हैं। सभी वर्गों में गरीब परिवारों की कुल संख्या 94 लाख है।
- मुख्यमंत्री ने कहा किर गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लयि इसके एक सदस्य को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए तक की सहायता की योजना बनाई गई है।
- जनि परिवारों के पास आवास/घर नहीं हैं, उन्हें जमीन खरीदने की राशिको 60 हज़ार से 1 लाख रुपए कर दया गया है। मकान बनाने के लयि 1 लाख 20 हज़ार रुपए दयि जाएंगे।
- वर्ष 2018 से 'सतत् जीविकोपार्जन योजना' के तहत अत्यंत नरिधन परिवार को रोजगार हेतु दी जा रही 1 लाख रुपए की सहायता राशिको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दया गया है।

